।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोंठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जाजौर

राजस्व अपील सं० 5/23/2021 दिनांकः 14.12.2021

01– मिसरू खां उर्फ मिसरू दीन पुत्र सिताब खां उम्र करीब 70 साल जाति मेव निवासी ग्राम नाहरपुर कलां तहसील व जिला अलवर

–अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत बहादरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बहादरपुर उप तहसील बहादरपुर तहसील अलवर –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 17.01.1990 इंतकाल संख्या 251 ग्राम पंचायत बहादुरपुर

–: निर्णय :–

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प जाजौर में पेश हुई। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत बहादरपुर के निर्णय दिनांक 17.01.1990 इंतकाल संख्या 251 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलाण्ट ने निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 311 रकबा 18 ऐयर व खसरा नम्बर 312 रकबा 68 ऐयर कायम हुऐ है तथा साबिक खसरा नम्बर 150 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 151 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 737 रकबा 41 ऐयर, 738 रकबा 01 ऐयर, 739 रकबा 1.31 है० जो आराजी वाके ग्राम नाहरपुर कलां तहसील अलवर में स्थित है। उक्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार शिताब खां पुत्र लॉडखां मेव था, जिसका स्वर्गवास हो गया है उसकी विरासत का इंतकाल संख्या 251 सिताब खां के विधिक वारिसान उसके तीनों पुत्रों के नाम किया गया। उक्त इंतकाल में सहवन से अपीलाण्ट का नाम मिसरू खां के स्थान पर नसरूदीन

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

दर्ज कर किया तब से अपीलाण्ट का नाम नसरूदीन ही दर्ज होता चला आ रहा है। जबकि अपीलाण्ट का सही नाम मिसरू खां है। अपीलाण्ट के आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड में दर्ज किया हुआ है। स्वर्गीय सिताब खां के तीन पुत्र सुबेखां, अमीखां, मिसरूखां है। अपीलाण्ट का बोलता नाम नसरू था पटवारी हलका को अपीलाण्ट का घर का बोलता नाम बता दिया जिस कारण उक्त इंतकाल में अपीलाण्ट का नाम नसरूदीन दर्ज हो गया। गलत नाम राजस्व रिकार्ड में रहने से अपीलाण्ट के हकूक जायल होते है। अपीलाण्ट को उक्त त्रुटि की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। हाल ही में दिनांक 20.11.2021 को जब अपीलाण्ट ने हाल जमाबन्दी की नकल चाही तो अपीलाण्ट को पता चला की अपीलाण्ट का नाम राजस्व अभिलेख में नसरूदीन दर्ज हो रहा है। नकल प्राप्त, वकील साहब से कानूनी सलाह मशवारा किया। अपील की जानकारी दिनांक 20.11.2021 से बिना देरी के दफा 5 मियाद अधिनियम के अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा दिनांक 17.01.1990 ग्राम पंचायत बहादरपुर बाबत इंतकाल संख्या 251 विरासत वाके ग्राम नाहरपुर कलां तहसील अलवर को दुरूस्त कराया जाकर अपीलाण्ट का नाम नसरूदीन के स्थान पर मिसरू खां दर्ज करवाते हुए पुनः इंतकाल दर्ज व स्वीकृत कराने बाबत न्यायालय को निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051, प्रमाणित प्रति भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2051–2070 प्रमाणित प्रति इंतकाल संख्या 251 एवं मिसरू खां के आधार कार्ड संख्या 238275457208 की फोटोप्रति, राशनकार्ड 00288 की फोटोप्रति, पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत, बहादरपुर के निर्णय दिनांक 17.01.1990 इंतकाल संख्या 251 अपास्त किया जाता है। नायब तहसीलदार बहादरपुर को उक्त इंतकाल प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जाजौर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)